न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 430/2016

निर्णय दिनांकः– 17/06/2017

1. ओमप्रकाश पुत्र कल्ला
2. भंवरलाल पुत्र कल्ला
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्ला
4. मूलचन्द पुत्र कल्ला

समस्त जाति कुम्हार निवासी मस्ता तहसील फागी जिला जयपुर।

5. दिलीप कुमार पुत्र हरिनारायण जाति कुमावत निवासी 18 खातीपुरो की बस्ती वार्ड न0 23 सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहरीलाल पुत्र श्रीनारायण
2. प्रभूनारायण पुत्र श्रीनारायण
3. रूपा पुत्र सुवा
4. कैलाश पुत्र रामचन्दा
5. लछमा बेवा रामचन्दा
6. प्रहलाद पुत्र रामचन्दा
7. पुरूषोतम पुत्र गुल्ला
8. बाछूराम पुत्र गुल्ला
9. नवरतन पुत्र गुल्ला
10. रामस्वरूप पुत्र गुल्ला
11. लछमा बेवा गुल्ला
12. मीरा पुत्री गुल्ला
13. विमला पत्नि स्व0 प्रेमचन्द

समस्त जाति कुम्हार निवासी मस्ता तहसील फागी जिला जयपुर।

14. रोडू पुत्र बख्ता
15. कजोड पुत्र बख्ताश
16. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।
17. सब रजिस्ट्रार फागी जिला जयपुर।

लगातार............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री विनय जैन वकील प्रार्थीगण
श्री ओम प्रकाश शर्मा वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2
श्री दुर्गालाल मेंघवंशी वकील अप्रार्थी सं0 3 लगा015

–:: प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 17.06.2017

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 267/1 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 267/2 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 267/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 267/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 267/5 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 443/267 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 271/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 271/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 271/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मस्ता तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। आराजी ख0न0 267/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के एवं ख0न0 271/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के बक्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं ख0न0 267/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 267/5 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 271/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं ख0न0 267/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 271/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 13 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है एवं ख0न0 267/1 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 15 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। एवं ख0न0 267/2 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा एवं ख0न0 271/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के 1/3 हिस्से के खातेदार गुल्ला पुत्र सुवा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिश अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 13 है इसलिये गुल्ला पुत्र सुवा के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 13 को पक्षकार कायम किया गया है। उक्त आराजी का मूल नम्बर 267 व 271 था। समय–समय पर उक्त आराजी का तकासमा होता गया एवं नये नम्बर डलते गये एवं विक्रय के आधार पर ही कब्जा करते गये। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा रोड के लगवा है इसी अनुसार उक्त आराजी पर काबिज रहकर वर्षो से पक्षकारान काश्त करते आ रहे है। अभी हाल ही में दिनांक 28.07.2016 को जब प्रार्थीगण अपनी आराजी में खरार कर रहा था तो अप्रार्थीगण एक राय होकर आये एवं प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जब प्रार्थीगण ने इसका विरोध किया जो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी की उक्त जगह पर हम कब्जा करेगें एवं किसी दिगर व्यक्ति को आगे कब्जा बताकर अच्छे दाम में बेचेगें तुम आज के बाद इधर मत आना। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 ने प्रार्थीगण के कब्जे में व्यवधान उत्पन्न किया या स्वंय का

लगातार................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

कब्जा आगे बताकर आराजी का बैचान कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से वकील श्री ओमप्रकाश शर्मा ने व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 15 की और वकील श्री दुर्गालाल मेंघवंशी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो में बताया की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी ख0न0 267/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 267/5 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 271/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम मस्ता में स्थित है जिसका विधिवत तकासमा किया गया है उसी अनुसार अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज काश्त है यदि राजस्व रिकार्ड में तरमीम की जाती है तो विधिवत रूप से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फागी के निर्णय व नक्शे कुरेजात के अनुसार तरमीम किया जाना न्याय संगत होगा। तहसीलदार फागी ने जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा तहसीलदार फागी ने अपने जबाब में बताया की पूर्व में न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी के निर्णय दिनांक 07.07.2015 के द्वारा उनवानी प्रकरण मोहरीलाल बनाम प्रभूनारायण में फाईनल डिक्री द्वारा तकासमा किया हुआ है जिसमें तरमीम नक्शा संलग्न है जिसमें वादी व प्रतिवादी दोनो के हस्ताक्षर है तथा दोनो की सहमति से बनाकर पेश किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी गण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की पूर्व में न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी द्वारा उक्त आराजी का तकासमा किया जा चुका है तथा उसके अनुसार अगर राजस्व रिकार्ड में तरमीम की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया की प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तरमीम किये जाने हेतु पेश किया है। पत्रावली में सलग्न न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी द्वारा पूर्व में मु0न0 190/2013 को दिनांक 07.07.2015 के द्वारा तकासमा किया जा चुका है। तथा संलग्न नक्शा– कुरेजात की प्रमाणित छायाप्रतियो पर वादी व प्रतिवादी सभी के हस्ताक्षर अंकित है। तथा सभी की सहमति से पूर्व में बटवारा किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम किये जाने हेतु स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

लगातार...............4

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 267/1 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 267/2 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 267/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 267/4 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 267/5 रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 443/267 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 271/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 271/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 271/3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मस्ता तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी का पूर्व में दिनांक 07.07.2015 व दिनांक 04.05.1983 के द्वारा हुये बंटवारे के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुये तहसीलदार फागी को राजस्व रिकार्ड मे तरमीम कियें जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2017 को फोलोप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला–जयपुर